## प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट परिशिष्ट 'इकसठ' प्रश्न सं. [ क्र. 2130 ]

शासकीय महाविद्यालय बहारीबंद, जिला कटनी (म.प्र.)

## बजट आवंटन विवरण

ъ. —	वर्ष .	आवंटन गद	बजट आवंटन राशि	व्यय राशि
1	2	3	4	5
1	2013-14	फर्नीचर	25000	24093
2	-10.00	स्टेशनरी, कार्यालयीन उपकरण	41650	39194
3		सम्बद्धता शुल्क	87000	76000
4		अतिथि विद्वानों का मानदेय	192000	170280
5	2014-15	विधुत कनेक्शन एवं फोटोकापी बिल	15000	14963
6		कम्प्यूटर, प्रिटंर	90000	86348
7		फर्नीचर	40000	38397
8	S,	स्टेशनरी, क्राकरी	15000	14197
9		छात्र कल्याण निधि	25000	23205
10		फर्नीचर	62000	61097
11		स्टेशनरी, क्राकरी	15000	14991
12		अतिथि विद्वानों का मानदेय	10 300	पूर्ण द्यात *
13		पुस्तकों हेतु	38515	प्रक्रिया चल २ ो है
14	2015—16	अतिथि विद्वानों का मानदेय	115200	पूर्ण दाय

परिशिष्ट ''ब''

स.	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
क.	7.00	and the second of the		3 1 22
1.	प्राचार्य	. 01		. 01
2.	सहायक प्राध्यापक	06	02	04
3.	ग्रंथपाल	01 (	_	01
4.	कीड़ाधिकारी	01 1		01
5.	मुख्यलिपिक	01=		01
6	लेखापाल	01	-	01
7	सहायकं वर्ग–2 (संविदा आउट सोर्स से स्वीकृत )	01	<del>-</del>	01
8	सहायक वर्ग—3 (संविदा आउट सोर्स से स्वीकृत )	01	- 1	01
9	बुकलिफ्टर (संविदा आउट सोर्स से स्वीकृत )	01		. 01
10.	भृत्य (संविदा आउट सोर्स से स्वीकृत )	01	-	01
11	चौकीदार (संविदा आउट सोर्स से स्वीकृत )	01		01
12	स्वीपर (संविदा आउट सोर्स से स्वीकत )	01	\. <del>-</del>	01

जहाँ तक शैक्षणिक रिक्त पदों की पूर्ति होना है के संबंध में मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग को मांग पत्र प्रेषित हो चुका है, जैसे ही अभ्यार्थियों की चयनित सूची प्राप्त होगी प्राथमिकता के आधार पर रिक्त पदों की पूर्ति की जावेंगी तथा प्राचार्य पद पर पदस्थापना निकट भविष्य में होने वाली विभागीय पदोन्नित समिति से अनुशंसित प्राध्यापक को प्राचार्य पद पर पदस्थ किया जावेगा। वर्तमान में तत्कालीन व्यवस्था अंतर्गत सहायक प्राध्यापक / की डाधिकारी / ग्रंथपाल के रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि विद्धान के माध्यम से अध्यापन कार्य करणा जा रहा है। समय—सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

रिक्त पदों की पूर्ति की निश्चित तिथि बतायी जाना संभव नहीं है।

शासकीय महाविद्यालयों में आऊट सोर्स से स्वीकृत पदों पर आऊट सोर्स एजेसी के माध्यम से भरने हेतु निविदा की शर्तों के अनुसार विज्ञापन जारी कर पदों की पूर्ति हेतु कार्यालयील पत्र क्रमांक 2045/आउशि/शाखा—3/2015, दिनांक 04.12.2015 द्वारा दिशा निर्देश क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालको/शासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों को जारी किये गये हैं।

(एनं०सी०तेकाम)

अपर संचालक (वित्त) उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश